कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्या :–1123 /खनन सहा0(नीलामी)–2017–18 दिनांकः–30 नम्वबर,2017

संशोधित अल्पकालीन सार्वनजिक नीलाम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि दिनांक 27/28 सितम्बर की मध्य रात्रि से दिनांक 19/20 अक्टूबर 2017 की मध्य रात्रि तक ऊपरी गंगा नहर की वार्षिक बन्दी के दौरान निकले मलबा/गाद/रेत/उपखनिज जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं:–

क्रम सं0	नाम स्थल	मलबा/गाद/उपखनिज की मात्रा **(घनमीटर में)**	न्यूनतम बोली
1	2	3	4
1	कि0मी0 11.250 पथरी पावर हाऊस के अपस्ट्रीम साईड	15499.90 घनमीटर गाद	2421084.00
2	जमालपुर पुल	1125.00 घनमीटर रेत	246015.00
3	पथरी पावर हाऊस के अपस्ट्रीम साईड	12689.05 घनमीटर गाद	1982030.00
4	पथरी पावर हाऊस के अपस्ट्रीम के बांये बैंक तथा डाउनस्ट्रीम साईड	1153.46 घनमीटर गाद	180171.00
5	ललताराव पुल के डाउनस्ट्रीम	936.60 घनमीटर रेत	204816.00

उपरोक्त उपखनिज को खुर्दबुर्द न होने के दृष्टिगत अल्पकालीन नीलामी सूचना प्रकाशित की जा रही हैं। **सार्वजनिक नीलामी दिनांक 03.12.2017 का सार्वनजिक अवकाश (रविवार) होने के कारण दिनांक 04.012.2017 को प्रातः 11.00 बजे अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय/कार्यालय कक्ष कलैक्ट्रेट, हरिद्वार स्थित रोशनाबाद** में होगी।

नीलामी की शर्ते:–

1–बोलीदाता के पास वैध चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए।

2–बोलीदाता को अलग–अलग स्ट्रैच के लिए अलग–अलग प्रारूप/आवेदन भरना होगा।

3–नीलामी के समय बोलीदाता को उपखनिज के अनुमानित मूल्य राशि का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी, हरिद्वार के नाम बयाना धनराशि के रूप में जमा करना होगा।

4–सार्वाधिक बोलीदाता को छोड़कर अन्य बोलीदाताओ के जमा बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी महोदय द्वारा नीलाम स्वीकृति के उपरान्त वापिस कर दिये जायेगें।

5–उपरोक्त उपखनिज की नीलामी से प्राप्त राजस्व पर राजकीय कर का नीमाली प्राप्तकर्ता द्वारा पृथक से सम्बन्धित विभाग को भुगतान किया जायेगा।

6– नीलाम प्राप्तकर्ता को उपरोक्त उपखनिज की नीलामी की धनराशि का 1/4 भाग उसी दिन एवं अवशेश धनराशि को उपरोक्त उपखनिज उठाये जाने की अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7–नीलामी प्राप्तकर्ता उपखनिज जो हैं, जहाँ हैं, जैसा हैं की स्थिति में नियमानुसार स्वंय निस्तारित करेगा।

8–नीलाम स्वीकृति की दिनांक से एक माह के भीतर उपखनिज की निकासी कार्यालय उप निदेशक(खनन/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, कलैक्ट्रेट परिसर रोशनाबाद, हरिद्वार से प्राप्त ई–रवन्ना (एम0एम0–11) के आधार पर की जायेगी।

9–नीलामी प्रकिया के बाद उपखनिज की चोरी एवं खुर्दबुर्द होने के लिए प्रशासन जिम्मेदार नही होगा।

10–नीलामी प्राप्तकर्ता उपखनिज की निकासी सूर्य उदय एवं सूर्यास्त तक ही की जायेगी।

11–नीलामी प्राप्तकर्ता सिंचाई विभाग की निगरानी में उपखनिज के निकासी का कार्य करेगा।

12–यदि उपखनिज निकासी करते समय नहर संरचना को कोई क्षति पहुॅचती हैं तब उसकी क्षति पूर्ति नीलाम प्राप्त कर्ता द्वारा की जायेगी।

13–उपखनिज की निकासी करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि सार्वजनिक मार्ग अवरूद्व न हो एवं जन सामान्य को असुविधा न हो।

14–अन्य शर्ते यदि कोई होगी तब उन्हें नीलामी स्थल पर नीलामी की दिनांक को बताया जायेगा।

(डा0 ललित नारायण मिश्र),
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/
अध्यक्ष, नीलामी समिति,
हरिद्वार।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–1–जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त नीलामी सूचना को वेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

2–उपजिलाधिकारी–हरिद्वार/रूड़की/लक्सर/भगवानपुर/उपनिदेशक(खनन/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, कलैक्ट्रेट परिस रोशनाबाद, हरिद्वार/नाजिर सदर, कलैक्ट्रेट, हरिद्वार को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/
अध्यक्ष, नीलामी समिति,
हरिद्वार।